| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/कोलो0/4283/2017/बीकानेर**<br>**करणाराम बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09.06.2022 | **एकलपीठ**<br>**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**<br><br>**उपस्थित**<br>श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी<br>श्री करण सिंह गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक<br><br>**निर्णय**<br><br>यह निगरानी अंतर्गत धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इ0गा0न0प0 में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर दिनांक 06.02.17 प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आवंटन के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष चक 5 एम0के0डी0 का मु0न0 193/08 की भूमि विशेष आवंटन में आवंटन के लिये आवेदन सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत ने बिना प्रार्थी को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपने निर्णय दिनांक 26.07.99 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06. 02.17 से अस्वीकार कर दी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।<br><br>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी ।<br><br>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 26.06.99 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 25.07.99 को पेश होने के आदेश फरमाये गये। जबकि वास्तव में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही उक्त दिनांक को पत्रावली पेश हुई। इस प्रकार | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/कोलो0/4283/2017/बीकानेर**<br>**करणाराम बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.7.99 को पत्रावली पेशी में लेकर एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई किये बगैर उसका आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और कहा कह जब कभी भी आवंटन किया जायेगा उसको सूचित कर दिया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपील अधिकारी का यह मानना कि प्रार्थी को समुचित अवसर देने पर भी स्वीकृति भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवायी है इससे स्पष्ट है कि वह आवंटित भूमि नहीं रखना चाहता है। जबकि प्रार्थी को बिना नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी से कोस्ट की राशि लगाकर भी स्वीकृत भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवायी जा सकती थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।<br><br>विद्वान उप राजकीय अभिभाषक बहस में कथन किया कि सर्वप्रथम तो प्रार्थी ने अपीलीय न्यायालय में अपील करीब 15 वर्ष से अधिक विलंब से प्रस्तुत की थी तथा अपील के साथ मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कारण भी संतोषप्रद नहीं थे। प्रार्थी को 35 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए दिनांक 22.08.98 को नोटिस जारी किया गया था परन्तु प्रार्थी आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और ना ही राशि जमा कराई। उक्त दोनों आधारों को मध्यनजर रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने उसका आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से यथावत रखते हुये उसकी अपील खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/कोलो0/4283/2017/बीकानेर**<br>**करणाराम बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया।

इस प्रकार प्रकरण का समस्त विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत ने प्रार्थी को आंवटित भूमि के लिए निर्धारित राशि जमा कराने हेतु जो नोटिस जारी किये गये थे उसकी उनको तामील नहीं हुई थी। इस स्थिति में जब राशि जमा कराने के नोटिस की तामील नहीं हुई हो और आवंटी द्वारा किन्हीं आवंटन शर्तो का उल्लघंन भी नहीं किया गया हो और ना ही प्रार्थी किसी प्रकार से आवंटन हेतु अपात्र रहा हो यह सिद्व नहीं होता है। इस स्थिति आवंटन निरस्त करने का आदेश न्यायोचित व विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.17 अपास्त किया जाता है। प्रकरण मूल ही न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत द्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये संबंधित नियम व विधि अनुसार प्रकरण का पुनः निस्तारण करे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य